



राहुल गाँधी की, फ्रैश, साफ छवि वाले जिलाध्यक्ष बनाने की योजना राजस्थान में क्यों फेल हो रही है

यह कार्यक्रम देश भर में जोर-शोर से आगे बढ़ रहा है, पर, राजस्थान में आकर फिसड़ी हो गया है

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू कर साफ-सुथरी और प्रभावी राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस अभियान के तहत, जिलाध्यक्षों को अधिक अधिकार और मजबूती देने के लिए कुछ मानक और नियम तय किए गए हैं, ताकि संगठन के संचालन में ऊर्जा और प्रभावशीलता बनी रहे। यह प्रक्रिया पूरे देश के कई राज्यों में चल रही है।

इस कार्य के लिए पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) को नियुक्त किया गया है, जिन्हें राज्य नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों और अन्य स्वाधीन हितों को दरकिनार करते हुए, जिलाध्यक्षों के नामों की पैनल सूची तैयार करनी थी।

लेकिन राजस्थान में इन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। केन्द्र से मिले स्पष्ट निर्देशों की

■ राजस्थान में यह दो व्यक्तियों के कारण असफल होता नज़र आ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व प्रभारी रंधावा।

■ स्पष्ट निर्देश थे कि दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो खोजबीन व छानबीन के बाद, नए जिलाध्यक्षों के नाम प्रस्तावित करेंगे।

■ यह भी स्पष्ट निर्देश थे कि प्रदेशाध्यक्ष व राज प्रभारी की इन नियुक्तियों में कोई भूमिका नहीं होगी।

■ पर, प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी ने बारह नामों की सूची भेजी है। इस सूची में वे नाम शामिल हैं, जो काफी हद तक विवादित हैं, जैसे प्रमोद सिसोदिया चित्तौड़गढ़, शबनम गोदारा हनुमानगढ़ तथा पुष्पेंद्र भारद्वाज जयपुर। इस तरह के कई नाम हैं, जो पुराने नेताओं व खेमेबाजी में भी सक्रिय रहे हैं।

पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम सुझाए गए हैं, उनमें कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि स्वच्छ छवि और प्रभावी जिलाध्यक्षों की मूल भावना के खिलाफ हैं। रंधावा, जिन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाए रखा गया है, किसी वेणुगोपाल के करीबी माने

जाते हैं, और वेणुगोपाल पार्टी में वास्तविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

रंधावा, डोटासरा, अशोक गहलोत और सी.पी. जोशी के गुट से जुड़े हुए हैं। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और ऐसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस आई भर्ती : अशोक गहलोत के पूर्व पी एस ओ को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव सहित पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने पीएसओ के बेटे

■ हाई कोर्ट ने पीएसओ के पुत्र सहित नौ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

भरत यादव सहित नौ आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश 14 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पेपर लीक गैंग के सदस्य विजय कुमार डामोर, पेपर हल करने वाले प्रवीण कुमार, सत्येन्द्र यादव, टेनी एसआई समेता कुमारी और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

7 देशों के डिप्लोमैट्स की टीम चुनाव देखने बिहार गई

“नो भाजपा” (भाजपा को जानो) मुहिम के तहत दो दिन के प्रवास में इन डिप्लोमैट्स ने भाजपा के चुनाव प्रचार को करीब से देखा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा शुरू की गई “नो बीजेपी” (भाजपा को जानो) पहल के तहत जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के भारत में स्थित दूतावासों के राजनयिक प्रतिनिधियों का एक दल 2-3 नवम्बर 2025 को बिहार का दौरा करने के लिए गया, ताकि वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार और भारत की जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकें।

इस प्रतिनिधिमंडल ने अररिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सार्वजनिक रैली देखी, जहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार के

■ बिहार यात्रा में इन राजनयिकों ने प्र.मंत्री मोदी की आरा में हुई विशाल जनसभा देखी, कई-कई नेताओं से मुलाकात की तथा घर-घर चुनाव अभियान में गहरी रूचि ली।

■ “नो भाजपा” मुहिम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने शुरू की है।

■ डिप्लोमैट्स की टीम में जापान, यूनाईटेड किंगडम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान व भूटान के राजनयिक शामिल थे।

दौरान बहुत सारे लोगों की भागीदारी को देखा। अपने दौर के दौरान, राजनयिकों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं रविशंकर प्रसाद, धर्मेन्द्र प्रधान और विनोद तावड़े से मुलाकात की और बुनियादी स्तर पर घर-घर जाकर हो रहे चुनाव प्रचार की

गतिविधियों को देखा। इसके बाद वे भाजपा के राज्य मुख्यालय पटना गए और पार्टी के संगठन, संचार रणनीति और चुनाव प्रबंधन प्रणाली को समझने के लिए राज्य के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की।

पैसेंजर ट्रेन व मालगाड़ी की टक्कर में 7 की मौत

बिलासपुर, 04 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को एक मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गयी, जिसमें सात यात्रियों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये।

दुर्घटना बिलासपुर स्टेशन के पास शाम को करीब चार बजे हुयी जिसमें

■ बिलासपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकराई।

मेमू ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गयी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन की टीमों मौके पर पहुंच गयीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूमिहार बिहार में जनसंख्या का 2.9 प्रतिशत ही हैं

फिर एनडीए ने बत्तीस व महागठबंधन ने पंद्रह भूमिहार नेताओं को क्यों टिकट दिये हैं, विधानसभा चुनावों में

■ इस प्रश्न का जवाब है, बिहार के इतिहास में, ऐतिहासिक व सामाजिक जीवन में भूमिहार जाति का भारी प्रभाव रहा है।

■ भूमिहार मुख्य रूप से लैंड ओनिंग जाति हैं और कई छोटे-बड़े राजघरानों में, जैसे बेतिया, ठिकारी, हथुआ, तामुखी, श्योहर, पाकुर, महिषादल, महेशपुर व वाराणसी, भूमिहार ठिकाने हैं।

■ बिहार में भूमिहारों ने कई बुद्धिजीवी, जैसे, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांस्कृतायन, रामवृक्ष बेनीपुरी भी दिये बिहार को।

■ राजनीतिक दृष्टि से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, भूमिहर नेता कृष्ण सिन्हा (1946-61) थे, उनके लंबे राजनीतिक जीवन में कई प्रभावशाली भूमिहार नेता पनपे। जैसे, महेश प्रसाद सिन्हा, कैलाशपति मिश्रा, वर्तमान में सी.पी. ठाकुर, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा।

■ बुद्धिजीवी लैंड ओनिंग जाति, राजनीति व प्रशासनिक बिहार में बहुत महत्व रखती हैं। वर्ष 1990 से 2025 तक, नीतीश-लालू युग में सत्ता जरूर इन दोनों के हर्ड-गिर्द रही, पर, प्रशासनिक पकड़, उच्च शिक्षा, मीडिया, प्रोफेशनल, जैसे कानून व मैडिसिन आदि में भूमिहार छाये रहे।

‘सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये’

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार से 6 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए यह बताने के लिए कहा है कि अभी तक सड़क सुरक्षा नीति, ब्लैक स्पॉट सुधार योजना और वाहन जांच अभियान के तहत क्या कदम उठाए गए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की

■ राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर प्रसंज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने 6 नवंबर तक जवाब मांगा।

खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है।

याचिका में कहा गया कि हाल में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित प्रदेशभर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें लोगों की मौतें हुई हैं। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़क सुरक्षा के प्रति सरकारी लापरवाही, खस्ताहाल रोड, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की कमी और ट्रैफिक प्रबंधन की विफलता है। प्रदेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जद (यू) के कद्दावर नेता लल्लन सिंह पर चुनाव आयोग ने केस किया

लल्लन सिंह एक वायरल वीडियो में धमकाने वाला बयान देते हुए दिखे कि मतदान के दिन कुछ नेताओं को घर से नहीं निकलने देना है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। बिहार में पहले चरण के हाई-वोल्टेज विधानसभा चुनाव में वोटिंग से 48 घंटे पहले, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू में नंबर 2 और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ एक पुलिस मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उनके चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने को लेकर दर्ज हुआ है।

लल्लन सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वह एक वीडियो में यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि “कुछ नेताओं को मतदान के दिन उनके घर से बाहर जाने नहीं दिया जाना चाहिए।” यह एफआईआर चुनाव आयोग के आदेशों पर आर भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता

■ लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह खुद एक बाहुबली हैं तथा नीतीश के करीबी हैं। जद (यू) में उन्हें नीतीश के बाद नंबर दो माना जाता है।

■ मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा में दिए गए लल्लन सिंह के भाषण का वीडियो जारी किया।

■ मोकामा लल्लन सिंह के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में आता है, जहाँ से जद (यू) ने बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया है। लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, जो खुद बाहुबली हैं, अनंत सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं।

■ लल्लन सिंह ने दुलार सिंह यादव (एक अन्य पूर्व बाहुबली) की हत्या में अनंत सिंह का बचाव किया व कहा कि अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है।

दल ने पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लल्लन सिंह के भाषण का मुद्दा उठाया था, जो उस वक्त सुर्खियों में आया था जब स्थानीय बाहुबली और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को हत्या

के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वायरल वीडियो में लल्लन सिंह यह कहते सुनाई दे रहे हैं, “कुछ नेताओं को चुनाव के दिन उनके घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर वे बहुत

ज़्यादा मांग करें, तो उन्हें अपने साथ ले जाओ और मतदान करने के बाद उन्हें घर वापस लेकर जाओ और बिस्तर पर सुला दो। उन्हें घर में बंद कर देना है। अब जिम्मेदारी संभालो। चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है।”

वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने कहा कि लल्लन सिंह चुनाव आयोग पर बुलडोजर चला रहे हैं। “(वह कह रहे हैं) उन्हें बंद कर दो, अगर वे विम्रत करें तो उन्हें मतदान करने ले जाओ। आरजेडी ने सवाल उठाया, मरा हुआ आयोग कहाँ है?”

मोकामा, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लल्लन सिंह के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में आता है। इससे पहले, एक साक्षात्कार में उन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को एक साजिश बताया था और कहा था कि आगामी चुनावों में बाहुबली अनंत सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारह राज्यों में एसआईआर का काम शुरू

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू हो गया है।

चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को बताया गया कि बिहार में

■ चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की।

एसआईआर के सफल समापन के बाद, इस अभ्यास के दूसरे चरण में नौ राज्यों (छत्तीसगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इसमें तीन केन्द्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी) के 3.21 जिले और 1,843 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)